जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
135/2016
A3

अपील सूचना अधिकार संख्या 135/2016 अनवानी श्री अरविन्द चौधरी निवासी 59 एलएनपी द्वितीय, वीपीओ रिड़मलसर बनाम लोक सूचना अधिकारी कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20-12-2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री अरविन्द चौधरी उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 13.05.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय से सूचनांए चाही गई थी जो उनके द्वारा उपलब्ध न करवाये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत होने के उपरान्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा तृतीय पक्ष की सूचना होने के कारण दिनांक 03.10.2016 को Divisional Manager, Oil Ltd. 8&9A, 4th Floor, Man Upasana Plaza, Sardar Patel Marg C-Scheme, Jaipur को नोटिस जारी किया गया है जिसे जारी किये हुए 30 दिन से अधिक का समय व्यतीत हो गया है किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा कुछ सूचना ही उपलब्ध करवाई गई है पूर्ण सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे।

मैने अपीलार्थी के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री अरविन्द चौधरी ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 13.05.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थी:-

> चक 59 एलएनपी द्वितीय तहसील पदमपुर के मुरब्बा न0 19 के किला न0 1 में निमार्णाधीन एस्सार कम्पनी के पम्प को जिन दस्तावेजों के आधार पर NOC प्रदान की गई है उन दस्तावेजो की नकल प्रदान करे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा Divisional Manager, Oil Ltd. 8&9A, 4th Floor, Man Upasana Plaza, Sardar Patel Marg C-Scheme, Jaipur के नाम दिनांक 03.10.16 को नोटिस जारी किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना तृतय पक्ष से संबंधित है आप पत्र प्राप्ति के 10 दिवस में यदि आपको कोई आपति है तो उनपके कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा नियमानुसार सूचना आवेदक को प्रदत्त कर दी जावेगी और प्रतिलिपि इस कार्यालय को भी दी है।

पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 13.05.2016 पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपील प्रस्तुत होने तक कोई कार्यवाही नही की गई है जबकि अपीलार्थी के आवेदन पत्र का 30 दिवस में निस्तारण करना चाहिए। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 22.08.2016 को दर्ज रजिस्टर कर लोक सूचना अधिकारी को बार बार पत्र लिखने के उपरान्त उनके द्वारा दिनांक 03.10.2016 को संबंधित विभाग को नोटिस जारी कर 10 दिवस में आपति चाही गई थी कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित है यदि सूचना दिये जाने में आपको आपति हो तो प्रस्तुत करे। लोक सूचना अधिकारी द्वारा जारी किये गये उक्त नोटिस की अवधि भी लगभग 3 माह के करीब हो गई है किन्तु अपीलार्थी के कथनानुसार उसे कुछ सूचना ही उपलब्ध करवाई गई है पूर्ण सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। लोक सूचना अधिकारी को चाहिए था कि संबंधित कम्पनी से कोई आपति प्राप्त नही हुई है तो उस पर अधिनियम के प्रावधानो के तहत सूचना देने अथवा न देने के संबंध में निर्णय करना चाहिए था। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

PTO

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
135/2016

A3

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओ के संबंध में संबंधित कम्पनी से कोई आपति प्राप्त हुई है अथवा नही? इस आदेश की प्राप्ति से 15 दिवस के भीतर अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओ के संबंध में नियमानुसार निस्तारण किया जावे। भविष्य में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो का 30 दिवस के भीतर ही नियमानुसार निस्तारण किया जाना चाहिए। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 20.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर